अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0पी0 वाद सं0–01/2003–04

देव नारायण ठाकुर, पिता–स्व0 सहदेव ओस्ता, ग्राम–कारूडीह, अंचल–सरैयाहाट, जिला–दुमका एवं अन्य–वनाम्– जनार्धन ओस्ता, पिता–स्व0 हरिहर ओस्ता, ग्राम–कारूडीह, अंचल–सरैयाहाट, जिला–दुमका

आदेश की क्रम स0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
3.7.24	**आदेश** प्रस्तुत आर0 एम0 पी0 वाद सं0–01/2003–04 देव नारायण ठाकुर, पिता–स्व0 सहदेव ओस्ता, ग्राम–कारूडीह, अंचल–सरैयाहाट, जिला–दुमका एवं अन्य के द्वारा जनार्धन ओस्ता, पिता–स्व0 हरिहर ओस्ता, ग्राम–कारूडीह, अंचल–सरैयाहाट, जिला–दुमका के विरूद्ध एवं अपर उपायुक्त, दुमका के टाईटल रिविजन वाद नं0–01/1994–95 में पारित आदेश दिनांक–30.04.2003 के रिविजन हेतु प्राप्त हुआ है। पुनः अपर समाहर्त्ता, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक–27.11.2007 के आलोक में देवनारायण ठाकुर द्वारा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में जनार्धन ओस्ता के विरूद्ध टाईटल रिविजन सं0–01/2008 दायर किया गया। जिसमें पारित आदेश दिनांक–26.02.2008 की सच्ची प्रतिलिपि आवेदक देवनारायण ठाकुर के द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के टी0आर0 वाद सं0– 01/2008 में पारित आदेश दिनांक–26.02.2008 निम्नवत् हैः– "Learned ADC Dumka is allowed to correct mistake if he finds any." मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना गया एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों तथा उभय पक्ष के द्वारा दायर प्रश्नगत भूमि से संबंधित विभिन्न वादों में पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अतः अपर समाहर्त्ता, दुमका के टी0आर0 वाद सं0– 01/1994–95 में पारित आदेश दिनांक–30.04.2003 के संदर्भ में पुनर्विचार करते हुए उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 03/07/24 अपर समाहर्त्ता, दुमका। 03/7/24 अपर समाहर्त्ता, दुमका।	

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2024.10.08 13:36:27 +05:30
Location: 192.168.1.104